भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 680
दिनांक 28 नवम्बर, 2024

पीएम उज्जवला योजना के अंतर्गत उपभोक्ता

†680. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके 75 लाख से अधिक उपभोक्ताओं तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के तहत राज्य-वार कितनी निधि आवंटित/जारी/उपयोग की गई है और इससे लाभान्वित लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के लिए 200 रुपये और 14.2 किलोग्राम 'सिंगल-बॉटल कनेक्शन' के लिए 2,200 रुपये प्रति कनेक्शन और 5 किलोग्राम 'सिंगल-बॉटल कनेक्शन' के लिए 13,00 रु. की राजसहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक प्रत्येक राज्य की विचार की गई वास्तविक मांगों का ब्यौरा क्या है और यदि ऐसी मांगों को अस्वीकार कर दिया गया है, तो उसके राज्य-वार कारण क्या हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त, 2021 में पीएमयूवाई चरण-2 (उज्ज्वला 2.0) की शुरूआत की गई थी, जिसे दिसंबर, 2022 में हासिल कर लिया गया था। इसके साथ ही सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत और 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निश्चय किया तथा दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार उज्ज्वला 2.0 के 1.60 करोड़ कनेक्शन के लक्ष्य को पहले ही हासिल किया जा चुका है।इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को अनुमोदित कर दिया था जिसे पहले ही जुलाई, 2024 के दौरान हासिल किया जा चुका है। दिनांक 01.11.2024 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 10.33 करोड़ प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थी हैं।

पीएमयूवाई के तहत निधियों का कोई राज्य/संघ शासित प्रदेश/जिला-वार आबंटन नहीं किया जाता है। पीएमयूवाई की शुरुआत से वित्त वर्ष 2022-23 तक सरकार सिलिंडर की जमानत राशि (एसडी), प्रेशर रेग्युलेटर, सुरक्षा होज, डीजीसीसी बुकलेट और स्थापना प्रभारों के लिए अधिकतम 1600 रुपए प्रति पीएमयूवाई कनेक्शन का व्यय वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से 14.2 कि.ग्रा. सिंगल बॉटल कनेक्शन/5 कि.ग्रा. डबल बॉटल कनेक्शन के लिए इस व्यय को बढ़ाकर 2200 रुपए प्रति कनेक्शन तथा 5 कि.ग्रा. सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 1300 रुपए प्रति कनेक्शन कर दिया गया है। दिनांक 01.11.2024 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 10.33 करोड़ प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थी हैं। पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

दिनांक 21 मई, 2022, से सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए एक वर्ष में 12 रिफिल तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 से प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के सभी लाभार्थियों के लिए निर्धारित राजसहायता को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर कर दी है। 300 रुपए प्रति सिलेण्डर (तथा 5 किलोग्राम सिलेण्डर के लिए समानुपातिक रूप से यथानिर्धारित) की निर्धारित राजसहायता के साथ, वर्तमान में (दिल्ली में) पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रति 14.2 किलोग्राम के सिलेण्डर का मौजूदा प्रभावी लागत 503 रुपए है।

***

अनुलग्नक

" पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उपभोक्ता" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को श्री वाई एस अविनाश रेड्डी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 680 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 01.11.2024 की स्थिति के अनुसार पीएमयूवाई योजना के तहत जारी किए गए कनेक्शन का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा

राज्य /संघ शासित प्रदेश	कुल पीएनयूवाई कनेक्शन
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13,824
आंध्र प्रदेश	9,71,176
अरुणाचल प्रदेश	53,797
असम	50,97,753
बिहार	1,16,30,709
चंडीगढ़	2,027
छत्तीसगढ़	38,01,995
दादरा नगर हवेली और दमन	17,798
दिल्ली	2,59,720
गोवा	1,956
गुजरात	43,09,053
हरियाणा	11,15,148
हिमाचल प्रदेश	1,50,774
जम्मू और कश्मीर	12,69,896
झारखंड	38,95,898
कर्नाटक	41,47,354
केरल	3,87,835
लद्दाख	11,086
लक्षद्वीप	361
मध्य प्रदेश	88,47,291
महाराष्ट्र	52,17,443
मणिपुर	2,24,987
मेघालय	3,17,156
मिजोरम	36,007
नागालैंड	1,22,152
ओडिशा	55,50,211
पुदुच्चेरी	19,350
पंजाब	13,59,320
राजस्थान	73,82,580
सिक्किम	19,892
तमिलनाडु	41,00,363
तेलंगाना	11,85,878
त्रिपुरा	3,16,468
उत्तराखंड	5,30,163
उत्तर प्रदेश	1,85,95,383
पश्चिम बंगाल	1,23,76,143

स्रोत: औद्योगिक आधार पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

****